

परिशिष्टों की सूची

अध्याय 1:	प्रस्तावना, मुद्दे और दृष्टिकोण	पृष्ठ क्र.
परिशिष्ट 1.1	राज्य की जिलावार स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंग अनुपात एवं साक्षरता	176
परिशिष्ट 1.2	छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों की संभागवार जानकारी	177
परिशिष्ट 1.3	तृतीय राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना	178
परिशिष्ट 1.4	तृतीय राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की अधिसूचना	179
परिशिष्ट 1.5	तृतीय राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की अधिसूचना	180
परिशिष्ट 1.6	तृतीय राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की अधिसूचना	181
परिशिष्ट 1.7	निर्देश पद	182
परिशिष्ट 1.8	नगरीय स्थानीय निकायों के विभिन्न मुद्दों पर कार्यशाला	184
परिशिष्ट 1.9	व्यक्तियों एवं समूहों से सुझाव प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में आयोग का विज्ञापन	188
अध्याय 5:	पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय जवाबदेही	
परिशिष्ट 5.1	छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य	189
अध्याय 11:	शहरीकरण एवं नगरीय प्रशासन	
परिशिष्ट 11.1	12वीं अनुसूची के अनुसार नगरीय निकायों को सौंपे गए कार्य	190
परिशिष्ट 11.2	12वीं अनुसूची के अनुसार नगरीय निकायों को सौंपे गए कार्यों के संबंध में क्रियान्वयन की स्थिति	191
अध्याय 12:	नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त भौतिक सेवाओं का मूल्यांकन	
परिशिष्ट 12.1	सेवा प्रदाय स्तर मानक	192
परिशिष्ट 12.2	कार्य दक्षता के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों की संख्या	193
अध्याय 17:	स्थानीय निकायों में अंतरण की योजना	
परिशिष्ट 17.1	पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन (ग्रामीण जनसंख्या 60 प्रतिशत)	194
परिशिष्ट 17.2	पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन (15 प्रतिशत)	195
परिशिष्ट 17.3	अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या (10 प्रतिशत)	196
परिशिष्ट 17.4	सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 से संबंधित वंचन सूचकांक (10 प्रतिशत)	197
परिशिष्ट 17.5	महिला साक्षरता (5 प्रतिशत)	198
परिशिष्ट 17.6	पंचायती राज संस्थाओं को कुल जिलेवार आबंटन सहायक कर्मचारियों की सूची	199 200

परिशिष्ट 1.1

राज्य की जिलावार स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंग अनुपात एवं साक्षरता

क्र.	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या)	साक्षरता दर
1.	रायपुर	6965.36	2159880	961	81.42
2.	दुर्ग	3069.10	1721726	966	83.16
3.	बिलासपुर	6929.43	1960466	971	73.68
4.	राजनांदगांव	8022.52	1537520	1017	76.97
5.	धमतरी	4081.93	799199	1012	78.95
6.	कबीरधाम	4447.05	822239	997	61.95
7.	बस्तर	6418.05	833318	1018	51.05
8.	कांकेर	6432.68	748593	1007	70.97
9.	जांजगीर-चांपा	4466.74	1620632	986	73.70
10.	कोरबा	7145.44	1206563	971	73.22
11.	रायगढ़	6527.74	1493627	993	73.70
12.	जशपुर	6457.41	852043	1004	68.60
13.	सरगुजा	9441.56	842085	977	61.80
14.	कोरिया	5977.70	659039	971	71.41
15.	बीजापुर	6552.96	255180	982	41.58
16.	नारायणपुर	6922.68	140206	998	49.59
17.	बलरामपुर	3803.08	730275	971	59.20
18.	सूरजपुर	2789.76	788969	979	62.26
19.	महासमुंद	4963.01	1032275	1018	71.54
20.	दंतेवाड़ा	5710.99	282803	1025	49.11
21.	बलौदाबाजार	3593.86	1304881	1004	71.50
22.	गरियाबंद	2887.06	597399	1018	69.03
23.	बालोद	2777.89	826019	1023	80.36
24.	बेमेतरा	2854.81	795334	1001	70.59
25.	कोण्डागांव	3684.83	578326	1034	61.31
26.	सुकमा	3335.30	249988	1018	35.43
27.	मुंगेली	1639.42	701611	976	65.56
	योग	137898.36	2550196	991	71.04

परिशिष्ट 1.2

छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों की संभावित जानकारी

संभाग	क्र.	जिले का नाम	पंचायती राज संस्थाएं			नगरीय स्थानीय निकाय				
			जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	नगर पालिक निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत	योग	
रायपुर	1	रायपुर	1	4	408	2	3	4	9	
	2	बलौदाबाजार	1	6	611	-	2	7	9	
	3	गरियाबंद	1	5	332	-	1	3	4	
	4	महासमुंद	1	5	545	-	3	3	6	
	5	धमतरी	1	4	355	1	-	5	6	
दुर्ग	6	दुर्ग	1	3	297	3	3	3	9	
	7	बालोद	1	5	421	-	2	6	8	
	8	बेमेतरा	1	4	387	-	1	7	8	
	9	राजनांदगांव	1	9	798	1	2	5	8	
	10	कबीरधाम	1	4	461	-	1	5	6	
	बस्तर	11	बस्तर	1	7	369	1	-	1	2
	12	कोण्डागांव	1	5	306	-	1	2	3	
	13	नारायणपुर	1	2	98	-	1	-	1	
	14	उ.ब. कांकेर	1	7	427	-	1	5	6	
	15	द.ब. दंतेवाड़ा	1	4	124	-	3	2	5	
16	सुकमा	1	3	135	-	1	2	3		
17	बीजापुर	1	4	169	-	1	2	3		
बिलासपुर	18	बिलासपुर	1	7	645	1	3	8	12	
	19	मुंगेली	1	3	350	-	1	3	4	
	20	जांजगीर-चांपा	1	9	631	-	4	11	15	
	21	रायगढ़	1	9	761	1	2	7	10	
	22	कोरबा	1	5	390	1	2	2	5	
	सरगुजा	23	सरगुजा	1	7	399	1	-	2	3
24		बलरामपुर	1	6	415	-	1	4	5	
25		सूरजपुर	1	6	424	-	1	5	6	
26		कोरिया	1	5	286	1	3	3	7	
27		जशपुर	1	8	427	-	1	4	5	
		योग :-	27	146	10971	13	44	111	168	

स्रोत:- पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

परिशिष्ट 1.3

तृतीय राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर


अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2016

क्रमांक 02 / एल 8-9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-अ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री चन्द्रशेखर साहू, अध्यक्ष तथा श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य होंगे।


2. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, जिस तारीख पर वे अपने-अपने पद ग्रहण करते हैं, उस तारीख से 31 जनवरी, 2017 तक पद धारण करेंगे।
3. निर्देश पद (टी0ओ0आर0) के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. आयोग, उपरोक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होने वाली 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2017 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा। आयोग यह भी उपदर्शित करेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए0के0 सिंह)
उप सचिव

पृ.क्र. 03 / एल 8-9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक 02, दिनांक 20.1.2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए0के0 सिंह)
उप सचिव

परिशिष्ट 1.4

तृतीय राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की अधिसूचना


छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 31.1.2017


क्रमांक 2/ F-06-01001226/ 2017/वित्त/वि.आ.प्र.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8-9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.अ.प्र., दिनांक 20 जनवरी, 2016 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 31/01/2017 से 31/01/2018 तक वृद्धि करते हैं ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ए.के. सिंह)
उप सचिव

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस अधिसूचना क्रमांक 2 दिनांक 31.01.2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ए.के. सिंह)
उप सचिव

परिशिष्ट 1.5

तृतीय राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर



अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 29/01/2018


क्रमांक 13/F-2017-04-04005/वित्त/वि.आ.प्र.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 02/एल 8-9 (पार्ट) 2016/वित्त/विआप्र, दिनांक 20 जनवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्, -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

पैरा 2 तथा 4 में, अंक तथा शब्द "31 जनवरी, 2017" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 मई, 2018" प्रतिस्थापित किया जाये।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए.क. सिंह)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

क्र. 14/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.- नया रायपुर, दिनांक 29/01/2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13/F-2017-04-04005/वित्त/वि.आ.प्र, दिनांक 29.01.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए.क. सिंह)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

परिशिष्ट 1.6

तृतीय राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की अधिसूचना

- 160 -

**छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
(वित्त आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

अधिसूचना

क्रमांक 178/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-अ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 02/एल 8-9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 20 जनवरी, 2016, (जो कि अधिसूचना क्र. 13/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 29 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधित है), में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

पैरा 2 एवं 4 में, अंक तथा शब्द "31 मई, 2018" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "30 सितम्बर, 2018" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

29/5/18
राजेश कुमार सिसोदिया, उप सचिव

नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

क्रमांक 178A/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 178/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 29-05-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

29/5/18
राजेश कुमार सिसोदिया, उप सचिव

परिशिष्ट 1.7

निर्देश पद

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी, 2016

क्रमांक 09/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र.-यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क. 3 सन् 1994) की धारा 3 का अनुसरण करते हुये, अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8-9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ एवं 243-म द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य वित्त आयोग, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा देगा-

(क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में,-

(एक) राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण, जो संविधान के भाग 9 और 9क के अधीन उनमें विभाजित किये जायें, को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को,

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अदधारण को, जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी, और

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को;

(ख) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक अध्युपायों और अनुशंसायें करने सहित निम्नलिखित के संबंध में-

(एक) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेतर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण, और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को चिन्हांकित करने, विशेषतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्गृहित करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;

(दो) स्थानीय शासनों के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार से ऋण लेने की संभावना, एवं इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था;

(तीन) स्थानीय शासनों की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;

(चार) स्थानीय शासनों के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;

(पांच) राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने;


(छ) स्थानीय शासनों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता हासिल करने;

(ग) स्थानीय शासनों के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटने;

- (घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाओं;
- (ङ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, मध्यवर्ती/विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय पंचायतों को निधियों के न्यागमन हेतु व्यवस्था; और
- (च) पंचायतों द्वारा बनाई आस्तियों को नगरपालिकाओं को अंतरित करने के लिए, क्षतिपूर्ति के उपयुक्त प्रावधान, जिसमें उनसे (उन आस्तियों से) संग्रहित राजस्व सम्मिलित है, की व्यवस्था।
2. आयोग, उसकी अनुशंसाएं करने में, अन्य विचारण सहित, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा,—
- (एक) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन पर होने वाली राजकोषीय मांगें;
- (दो) स्थानीय निकायों के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं; और
- (तीन) केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों को दी गई निधियां।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से


तथा आदेशानुसार,


(ए. के. सिंह)
उप सचिव

क्रमांक 10/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक 09 दिनांक 06 फरवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


(ए. के. सिंह)
उप सचिव

परिशिष्ट-1.8
नगरीय स्थानीय निकायों के विभिन्न मुद्दों पर कार्यशाला
कार्यशाला - "महापौर विमर्श"

दिनांक 22.09.2016

स्थल- नवीन विश्राम गृह, सिविल लाईन्स रायपुर

कार्यशाला में उपस्थित आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य :-

1. श्री चन्द्रशेखर साहू, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग
2. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य, राज्य वित्त आयोग

कार्यशाला में निम्नांकित अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. श्री एस.के.मिश्रा, (से.नि. आईएएस) अध्यक्ष, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, रायपुर
2. डॉ. रोहित यादव, विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
3. श्री निरंजन दास, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास
4. श्री व्ही.के.छबलानी, प्रबंध संचालक, सीआईडीसी रायपुर
5. श्री एस.के.दुबे, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास
6. डॉ. अमृत चोपड़ा, उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास
7. श्री विनोद पाण्डे, उपायुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर

उपस्थित महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम :-

1. श्री प्रमोद दुबे, महापौर, नगर पालिक निगम रायपुर
 2. श्री देवेन्द्र यादव, महापौर, नगर पालिक निगम भिलाई
 3. श्री मधुसूदन यादव, महापौर, नगर पालिक निगम राजनांदगांव
 4. श्री जतिन जायसवाल, महापौर, नगर पालिक निगम जगदलपुर
 5. श्री के. डोमरू रेड्डी, महापौर, नगर पालिक निगम चिरमिरी
 6. डॉ. अजय कुमार तिकी, महापौर, नगर पालिक निगम अंबिकापुर
 7. श्रीमती अम्बिका यदु, महापौर, नगर पालिक निगम बीरगांव
 8. श्रीमती अर्चना चौबे, महापौर, नगर पालिक निगम धमतरी
 9. श्रीमती चंद्रिका चन्द्राकर, महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग
 10. मधु बाई किन्नर, महापौर, नगर पालिक निगम रायगढ़
 11. श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, सभापति, नगर पालिक निगम रायपुर
 12. श्री योगेन्द्र कुमार सोलंकी, सभापति, नगर पालिक निगम बीरगांव
 13. श्री राजकुमार नरायनी, सभापति, नगर पालिक निगम दुर्ग
 14. श्री श्यामसुंदर राव, सभापति, नगर पालिक निगम भिलाई
 15. श्री शिव वर्मा, सभापति, नगर पालिक निगम राजनांदगांव
 16. श्री धुरपाल सिंह, सभापति, नगर पालिक निगम कोरबा
 17. श्री शेख सलीम वालिया, सभापति, नगर पालिक निगम रायगढ़
- तृतीय राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़

18. श्री शफी अहमद, सभापति, नगर पालिक निगम अंबिकापुर
19. श्री कृति दासो, सभापति, नगर पालिक निगम चिरमिरी
20. श्री भीखम देवांगन, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम बीरगांव
21. श्री रिकेश सेन, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम भिलाई
22. मो. अब्दुल गनी, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम दुर्ग
23. श्री योगेश जैन, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम कोरबा
24. श्री पंकज कंकरवाल, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम रायगढ़
25. श्री संजय पाण्डे, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम जगदलपुर
26. श्री जन्मेजय मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम अंबिकापुर
27. श्री अयाजुद्दीन सिद्दीकी, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम चिरमिरी

उपस्थित आयुक्त, नगर पालिक निगम :-

1. श्री रजत बंसल, आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर
2. श्री आलोक चंद्रवंशी आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव
3. श्री नीलाबंर नायक, आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी
4. श्री एस.के.सुंदरानी, आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग
5. श्री नरेन्द्र दुग्गा, आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई
6. श्री अश्वनी देवांगन, आयुक्त, नगर पालिक निगम राजनांदगांव
7. श्री सौमिलरंजन चौबे, आयुक्त, नगर पालिक निगम बिलासपुर
8. श्री विरेन्द्र सिंग, आयुक्त, नगर पालिक निगम जगदलपुर
9. श्री ग्यास अहमद, आयुक्त प्रतिनिधि, नगर पालिक निगम कोरबा
10. श्री लोकेश्वर साहू, आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़
11. श्री एल.के.सिंगरोल, आयुक्त, नगर पालिक निगम अंबिकापुर
12. श्री बी.एल.सुरक्षित, आयुक्त, नगर पालिक निगम चिरमिरी

राज्य वित्त आयोग का प्रतिनिधित्व :-

1. डॉ. भारत कुमार अग्रवाल, सचिव, राज्य वित्त आयोग
2. श्री विवेक कुमार मिश्रा, अनुसंधान अधिकारी, राज्य वित्त आयोग
3. श्री डी.पी.तिवारी, अधीक्षक, राज्य वित्त आयोग
4. श्री डी. चन्नावार, सहायक ग्रेड-2, राज्य वित्त आयोग
5. श्री अनिल चतुर्वेदी, सहायक ग्रेड-2, राज्य वित्त आयोग
6. श्री राजेश सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड-3, राज्य वित्त आयोग
7. श्री लोकेश कुमार वर्मा, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, राज्य वित्त आयोग
8. श्री तुकाराम तांडी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, राज्य वित्त आयोग

दिनांक 23.09.2017

स्थल- नवीन विश्राम गृह, सिविल लाईन्स रायपुर

कार्यशाला में उपस्थित आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य :-

1. श्री चन्द्रशेखर साहू, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग
2. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य, राज्य वित्त आयोग

कार्यशाला में उपस्थित प्रबुद्ध अर्थशास्त्री एवं विद्वतजन :-

1. श्री एस.के.मिश्रा, (से.नि. आईएएस) अध्यक्ष, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, रायपुर
2. डॉ. अशोक पारख, पूर्व सदस्य, राज्य वित्त आयोग
3. श्री पी.पी. सोती, सदस्य राज्य योजना आयोग
4. डॉ. हनुमंत यादव, पूर्व सलाहकार राज्य वित्त आयोग
5. डॉ. मनीषा दुबे, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर
6. डॉ. जे.एल.भारद्वाज, अर्थशास्त्री, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर
7. श्री शाश्वत सेठी, प्रतिनिधि, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद

कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधि :-

1. श्रीमती अम्बिका यदु, महापौर, न.पा.नि. बीरगांव
2. श्रीमती अर्चना चौबे, महापौर, न.पा.नि. धमतरी
3. श्रीमती चंद्रिका चन्द्राकर, महापौर, न.पा.नि. दुर्ग
4. श्रीमती चंद्रकांता मांडले, महापौर, न.पा.नि. भिलाई-चरौदा
5. मधु बाई, महापौर, न.पा.नि. रायगढ़
6. श्री किशोर राय, महापौर, न.पा.नि. बिलासपुर
7. श्री के. डोमरू रेड्डी, महापौर, न.पा.नि. चिरमिरी
8. श्री देवलाल ठाकुर, अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद
9. श्री खेमराज कोसले, अध्यक्ष, जनपद पंचायत अभनपुर
10. श्री विक्रान्त सिंह, अध्यक्ष, जनपद पंचायत खैरागढ़
11. श्रीमती रविका एक्का, अध्यक्ष, नगर पंचायत बलरामपुर
12. श्रीमती रूचि जायसवाल, अध्यक्ष, नगर पंचायत प्रतापपुर
13. श्रीमती गौरी चंद्राकर, अध्यक्ष, नगर पंचायत उतई
14. श्री युवराज सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत हरदीबाजार
15. श्री यशवंत, सरपंच, ग्राम पंचायत मालगांव
16. श्री रेविम तिकी, सरपंच, ग्राम पंचायत कांसाबेल
17. श्रीमती जया कश्यप, सरपंच, ग्राम पंचायत गामाबाड़ा
18. श्रीमती डाली साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत कोपरा
19. श्री फागुराम चौधरी, उप सरपंच, ग्राम पंचायत मालगांव

कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी :-

1. श्री एस.के.जायसवाल (आईएएस), आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. श्री निरंजन दास (आईएएस), संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
3. डॉ. ए.के.सिंह, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
4. श्री अमिताभ शर्मा, अपर संचालक (वित्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, नया रायपुर
5. श्री आर.पी.पटेल, उप संचालक, पंचायत संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
6. श्री गोपाल वर्मा, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर
7. श्री ए.के.जायसवाल, संकाय सदस्य, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा
8. श्री के.पी.मधुकर, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा
9. श्री पी.आर.ध्रुव, राज्य शहरी विकास अभिकरण, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
10. श्री शंकर नागवंशी, जनसंपर्क संचालनालय

11. श्री तेजपाल, जनसंपर्क अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण
12. श्री एल.के.सिंगरौल, आयुक्त, न.पा.नि. बीरगांव
13. श्री एस.के.सुंदरानी, आयुक्त, न.पा.नि. दुर्ग
14. श्री लोकेश्वर साहू, आयुक्त, न.पा.नि. भिलाई-चरौदा
15. सौम्या चौरसिया, अपर आयुक्त, न.पा.नि. रायपुर
16. श्री आर.के.डोंगरे उप आयुक्त, न.पा.नि. रायपुर
17. श्री डी.एस.राठौर, उपायुक्त, वित्त, न.पा.नि. रायपुर
18. श्री बी.के.देवांगन, कार्यपालन यंत्री, न.पा.नि. भिलाई
19. श्री सुभाष दीक्षित, लेखाधिकारी, न.पा.नि. राजनांदगांव
20. श्री अच्छेलाल साहू, सहायक लेखाधिकारी, न.पा.नि. अम्बिकापुर
21. श्री रामनारायण पटेल, सहायक लेखाधिकारी, न.पा.नि. रायगढ़
22. श्री हरजीत सिंह, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर
23. श्री जी.पी.पाण्डे, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा
24. श्री आर.के.जायसवाल, आ.ले.प., करारोपण अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा
25. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खैरागढ़
26. श्री आर.पी.तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुनकुरी
27. स्वेच्छा सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अभनपुर
28. आस्था राजपूत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फरसगांव
29. श्री प्रेम पटेल, सहायक परियोजना अधिकारी,
30. श्री अभिषेक एक्का, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, न.पा. परिषद बलरामपुर
31. सुश्री प्रीति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, न.पा. परिषद महासमुंद
32. श्री मनीष यादव, उपयंत्री, नगर पंचायत छुरा
33. श्री असरफ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत उतई
34. श्री आर.एन.पाण्डे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत पाली
35. श्री हरदयाल रात्रे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत प्रतापपुर
36. श्री गौतम यादव, सहायक ग्रेड-3, नगरपालिका परिषद मुंगेली
37. श्री दीपक शर्मा, लेखापाल, न.पा.नि. धमतरी
38. श्री ललित कुमार, सचिव, ग्राम पंचायत गामावाड़ा
39. श्री मनेष रंगारी, सचिव, ग्राम पंचायत टेडेसरा
40. श्री नीरज कुमार गुप्ता, सचिव, ग्राम पंचायत कांसाबेल
41. श्री गिरवर प्रसाद, सचिव, ग्राम पंचायत हरदीबाजार
42. श्री उत्तम कुमार साहू, सचिव, ग्राम पंचायत कोपरा

राज्य वित्त आयोग का प्रतिनिधित्व :-

1. डॉ. भारत कुमार अग्रवाल, सचिव, राज्य वित्त आयोग
2. डॉ. एस. हबलानी, संयुक्त सचिव, राज्य वित्त आयोग
3. श्री बी.के.लाल, सलाहकार, राज्य वित्त आयोग
4. श्री विवेक कुमार मिश्रा, अनुसंधान अधिकारी, राज्य वित्त आयोग
5. श्री डी.पी.तिवारी, अधीक्षक, राज्य वित्त आयोग
6. श्री डी. चन्नावार, सहायक ग्रेड-2, राज्य वित्त आयोग
7. श्री अनिल चतुर्वेदी, सहायक ग्रेड-2, राज्य वित्त आयोग
8. श्री राजेश ठाकुर, सहायक ग्रेड-3, राज्य वित्त आयोग
9. श्री लोकेश कुमार वर्मा, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, राज्य वित्त आयोग
10. श्री तुकाराम तांडी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, राज्य वित्त आयोग

परिशिष्ट 1.9
समाचार पत्र में आयोग का विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग

सी - 118, कृष्णा किड्स स्कूल के सामने, टैगोर नगर, रायपुर

सार्वजनिक सूचना

संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप छत्तीसगढ़ में तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो राज्य की पंचायतों तथा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुशंसा देगा -

- (क). निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में -
1. राज्य द्वारा बसूली योग्य सभी कर, शुल्क, पथकर और फीस की ऐसी शुद्ध आय जो राज्य और पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं के बीच सभी स्तरों पर वितरण की जाए।
 2. ऐसे सभी कर, शुल्क, पथकर और फीस का निर्धारण जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समुनदिष्ट या विनियोजित की जा सकेगी।
 3. राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान।
- (ख). पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों और अनुशंसाओं सहित निम्नलिखित के संबंध में :-
1. पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेत्तर राजस्व व्यवस्था का युक्तियुक्तकरण। संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाएं। ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता से प्रभार लेना ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की प्रतिपूर्ति हो सके।
 2. पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार से ऋण लेने की संभावना एवं इसकी व्यवस्था।
 3. स्थानीय शासन की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास।
 4. स्थानीय शासन के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने।
 5. राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने।
 6. स्थानीय शासन द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता प्राप्त करना।
- (ग). स्थानीय शासन के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटना।
- (घ). नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक - निजी भागीदारी की संभावनाएं।
- (ङ). चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को दिया जाना है, जनपद एवं जिला पंचायतों को निधियों के हस्तांतरण हेतु व्यवस्था।

अनुशंसायें पांच वर्ष तक लागू रहेंगी। राज्य वित्त आयोग आम जनता, संस्थाओं, संगठनों, विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से उपयुक्त बिन्दुओं पर सुझाव आमंत्रित करता है।

समस्त सुझाव छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग सी-118, कृष्णा किड्स स्कूल के सामने टैगोर नगर, रायपुर पिन - 492001 के पते पर डाक/व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल cg.state.fin.com@gmail.com द्वारा प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर भेजे जा सकते हैं।

(डॉ. बी.के. अग्रवाल)

सचिव

राज्य वित्त आयोग छ.ग. रायपुर

जी-40571/4

नई दुनिया, 27 अप्रैल 17, गुरुनगर

परिशिष्ट 5.1

छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य

क्षेत्र	विशिष्ट शक्तियाँ और कृत्य
1. नियोजन	<p>क) योजनाओं की पहचान के लिए सिद्धांतों को अधिकथित करना;</p> <p>ख) गांव के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की प्राथमिकता परिभाषित करना;</p> <p>ग) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजना जिनमें वार्षिक योजनाएं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजना को ग्राम पंचायत द्वारा इनका क्रियान्वयन आरंभ करने से पूर्व अनुमोदित करना;</p> <p>घ) ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिशें करना;</p> <p>ङ) ग्राम पंचायतों को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग में सलाह देना;</p> <p>च) गांव में विकास योजनाओं की प्रसुविधाओं के क्रियान्वयन, उन्हें बनाए रखने तथा उनके साम्यपूर्ण वितरण के लिए व्यक्तियों के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करना;</p> <p>छ) जनसाधारण के बीच सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना;</p>
2. हितग्राहियों का चयन	गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान तथा चयन करना
3. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन	प्राकृतिक स्रोतों का जिसके अंतर्गत भूमि, जल, वन आते हैं, संविधान के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबंध करना।
4. नियंत्रण	<p>क) स्थानीय योजना पर तथा ऐसी योजनाओं के स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना;</p> <p>ख) संस्थाओं और ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त कार्मिकों पर नियंत्रण करना;</p>
5. संपरीक्षा तथा निगरानी	<p>क) ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना;</p> <p>ख) ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए निधियों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करना तथा प्रमाणित करना;</p> <p>ग) हितग्राहियों को निधियों और आस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना;</p>

स्रोत: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, धारा 7

परिशिष्ट 11.1

12वीं अनुसूची के अनुसार नगरीय निकायों को सौंपे गए कार्य

#	कार्य	आवश्यक	ऐच्छिक
1	क) नगरीय योजना		√
	ख) नगर योजना		√
2	क) भूमि उपयोग का विनियमन		√
	ख) निर्माण कार्यों का विनियमन		√
3	क) आर्थिक विकास की योजना बनाना		√
	ख) सामाजिक विकास की योजना बनाना		√
4	क) सड़कें		√
	ख) पुल		√
5	जलप्रदाय -		
	क) औद्योगिक	√	
	ख) वाणिज्यिक	√	
6	ग) घरेलू	√	
	क) लोक स्वास्थ्य	√	
	ख) स्वच्छता	√	
	ग) शौचालयों की सफाई	√	
7	घ) कूड़ा करकट प्रबंध	√	
	अग्नि शमन	√	
8	क) नगरीय वानिकी		√
	ख) पर्यावरण का संरक्षण		√
	ग) परिस्थितियों की आयामों की अभिवृद्धि		√
9	हितों की रक्षा -		
	क) कमजोर वर्गों के		√
	ख) विकलांगों के		√
10	ग) मानसिक रूप से पिछड़ों के		√
	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन		√
11	नगरीय निर्धनता उन्मूलन		√
12	नगरीय जन सुविधाएं -		
	क) पार्क		√
	ख) उद्यान		√
	ग) खेलकूद मैदान		√
13	Promotion of		
	क) शिक्षा	√	
14	ख) सांस्कृतिक और सा ह्यपरक आयामों की अभिवृद्धि		√
	क) शव गड़ना और कब्रिस्तान	√	
	ख) शवदाह और श्मशान	√	
15	ग) विद्युत शवदाह गृह	√	
	क) कांजी हाऊस	√	
16	ख) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण		√
	क) जन्म-मरण सांख्यिकी		√
17	ख) जन्म-मृत्यु का पंजीयन	√	
	क) सार्वजनिक सुविधाएं		√
	ख) सड़कों पर प्रकाश	√	
	ग) पार्किंग स्थल		√
	घ) बस स्टॉप		√
18	ङ) जन सुविधाएं		√
	विनियमन		
	क) वधशालाओं	√*	√@
	ख) चर्मशोधन शालाओं		

परिशिष्ट 11.2

12वीं अनुसूची के अनुसार नगरीय निकायों को सौंपे गए कार्यों के संबंध में क्रियान्वयन की स्थिति

#	कार्य	आवश्यक	ऐच्छिक
1	क) नगरीय योजना	-	5
	ख) नगर योजना	-	7
2	क) भूमि उपयोग का विनियमन	-	6
	ख) निर्माण कार्यों का विनियमन	1	11
3	क) आर्थिक विकास की योजना बनाना	5	5
	ख) सामाजिक विकास की योजना बनाना	5	6
4	क) सड़कें	4	9
	ख) पुल	3	7
5	जलप्रदाय -		
	क) औद्योगिक	8	4
	ख) वाणिज्यिक	8	5
	ग) घरेलू	7	6
6	क) लोक स्वास्थ्य	6	7
	ख) स्वच्छता	10	3
	ग) शौचालयों की सफाई	7	6
	घ) कूड़ा करकट प्रबंध	10	3
7	अग्नि शमन	5	5
8	क) नगरीय वानिकी	4	7
	ख) पर्यावरण का संरक्षण	4	6
	ग) परिस्थितियों की आयामों की अभिवृद्धि	4	5
9	हिंदी की रक्षा -		
	क) कमजोर वर्गों के	7	5
	ख) विकलांगों के	7	5
	ग) मानसिक रूप से पिछड़ों के	7	5
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन	13	0
11	नगरीय निर्धनता उन्मूलन	10	3
12	नगरी जन सुविधाएं -		
	क) पार्क	7	5
	ख) उद्यान	7	5
	ग) खेलकूद मैदान	7	5
13	Promotion of		
	क) शिक्षा	0	12
	ख) सांस्कृतिक और साक्षरता आयामों की अभिवृद्धि	2	8
14	क) शव गड़ना और कब्रिस्तान	11	2
	ख) शवदाह और श्मशान	11	2
	ग) विद्युत शवदाह गृह	4	2
15	क) कांजी हाऊस	9	4
	ख) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण	9	4
16	क) जन्म-मरण सांख्यिकी	9	4
	ख) जन्म-मृत्यु का पंजीयन	13	0
17	क) सार्वजनिक सुविधाएं	8	5
	ख) सड़कों पर प्रकाश	9	3
	ग) पार्किंग स्थल	9	3
	घ) बस स्टॉप	9	3
	ङ) जन सुविधाएं	7	4
18	विनियमन		
	क) वधशालाओं	8	3
	ख) चर्मशोधन शालाओं	8	3

परिशिष्ट 12.1

सेवा प्रदाय स्तर मानक

जल प्रदाय	क	ख	ग	घ
क्षेत्र	<= 25	<=50, >25	<=75, >50	>75
प्रति व्यक्ति	<= 35	<=70, >35	<=100, >70	>100
मापन	<= 25	<=50, >25	<=75, >50	<75
गैर-कर जल	>=50	<50, >=30	<30, >=20	<20
निरंतरता	<=5	<=10, >5	<=20, >10	>20
गुणवत्ता एवं शुद्धीकरण	<=40	<=80, >40	<100, >80	100
उपभोक्ता शिकायतों का निवारण	<=25	<=50, >25	<=80, >50	>80
लागत की वसूली	<=25	<=50, >25	<=75, >50	>75
कर की वसूली में दक्षता	<=30	<=60, >30	<=90, >60	>90
मल निकासी				
शौचालयों की उपलब्धता	<=35	<=70, >35	<=90, >70	>90
सीवरेज का विस्तार	0	<=40, >0	<=70, >40	>70
सफाई क्षमता	0	<=40, >0	<=70, >40	>70
पर्याप्तता	0	<=40, >0	<=70, >40	>70
पुनर्उपयोग/रीसायकल	0	<=10, >0	<=20, >10	>20
गुणवत्ता एवं शुद्धीकरण	<=40	<=80, 40	<100, >80	100
उपभोक्ता शिकायतों का निवारण	<=25	<=50, >25	<=80, >50	>80
लागत की वसूली	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
शुल्क की वसूली में दक्षता	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
छोस अपशिष्ट प्रबंधन				
सुविधा कितने परिवारों को उपलब्ध हैं।	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
एम.डब्ल्यू.एस. की संग्रहण क्षमता	<=50	<=70, >50	<=90, >70	>90
पृथक्करण	0	<=25, >0	<=50, >25	>50
पुनः प्राप्त	0	<=25, >0	<=50, >25	>50
निराकरण	0	<=25, >0	<=50, >25	>50
लागत की वसूली	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
दरों की वसूली में दक्षता	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
उपभोक्ता शिकायतों का निवारण	<=25	<=50, >25	<=80, >50	>80
ठोस अपशिष्ट विस्तार				
विस्तार	<=25	<=50, >25	<=75, >50	>75
भार (incidence)	>=100	>=50, <100	>=25, <50	<25

परिशिष्ट 12.2

कार्य दक्षता के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों की संख्या

जल प्रदाय	क			ख			ग			घ		
	न.पा. निगम	न.पा. परि.	कुल	न.पा. निगम	न.पा. परि.	कुल	न.पा. निगम	न.पा. परि.	कुल	न.पा. निगम	न.पा. परि.	कुल
क्षेत्र	2	1	3	4	10	14	3	22	25	2	11	13
प्रति व्यक्ति	2	9	11	7	19	26	4	9	13	1	7	8
मापन	0	0	0	0	0	0	4	0	4	9	1	10
गैर-कर जल	0	0	0	0	0	0	0	13	13	10	31	41
निरंतरता	13	38	51	0	2	2	0	3	3	0	1	1
गुणवत्ता एवं शुद्धीकरण	2	2	4	1	5	6	6	23	29	3	14	17
कर की वसूली में दक्षता	6	16	22	6	21	27	1	3	4	0	3	3
मल निकासी												
शौचालयों की उपलब्धता	12	42	54	1	1	2	0	0	0	0	1	1
सीवरेज का विस्तार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	44	57
सफाई क्षमता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
पर्याप्तता	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
पुनर्उपयोग/रीसायकल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
गुणवत्ता एवं शुद्धीकरण	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
लागत की वसूली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	44	57
शुल्क की वसूली में दक्षता	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन												
सुविधा कितने परिवारों को उपलब्ध हैं।	2	0	2	4	5	9	1	9	10	6	30	36
एम.डब्ल्यू.एस. की संग्रहण क्षमता	13	43	56	0	0	0	0	0	0	0	1	1
पृथक्करण	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	44	56
पुनः प्राप्त	0	0	0	0	0	0	3	0	3	10	44	54
निराकरण	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12	44	56
लागत की वसूली	0	0	0	0	1	1	2	5	7	11	38	49
दरों की वसूली में दक्षता	1	2	3	4	14	18	6	12	18	2	16	18
बरसाती पानी की निकासी												
विस्तार	1	4	5	1	7	8	4	10	14	7	23	30

परिशिष्ट 17.1

पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन (ग्रामीण जनसंख्या 60 प्रतिशत)

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	जिला	ग्रामीण जनसंख्या	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	योग
1	रायपुर	884224	38.53	42.83	47.88	53.53	59.85	242.62
2	बलौदाबाजार	1139160	49.64	55.17	61.69	68.96	77.10	312.57
3	गरियाबंद	557199	24.28	26.99	30.17	33.73	37.71	152.89
4	महासमुंद	912602	39.77	44.20	49.42	55.25	61.77	250.40
5	धमतरी	650586	28.35	31.51	35.23	39.39	44.03	178.51
6	दुर्ग	617248	26.90	29.90	33.42	37.37	41.78	169.36
7	बालोद	720667	31.41	34.91	39.02	43.63	48.78	197.74
8	बेमेतरा	721192	31.43	34.93	39.05	43.66	48.81	197.88
9	राजनांदगांव	1264621	55.11	61.25	68.48	76.56	85.59	346.99
10	कबीरधाम	735131	32.04	35.61	39.81	44.50	49.76	201.71
11	बस्तर	698864	30.46	33.85	37.84	42.31	47.30	191.76
12	कोण्डागांव	520841	22.70	25.23	28.20	31.53	35.25	142.91
13	नारायणपुर	117714	5.13	5.70	6.37	7.13	7.97	32.30
14	कांकेर	672180	29.29	32.56	36.40	40.69	45.49	184.44
15	दंतेवाड़ा	215448	9.39	10.44	11.67	13.04	14.58	59.12
16	सुकमा	221957	9.67	10.75	12.02	13.44	15.02	60.90
17	बीजापुर	225630	9.83	10.93	12.22	13.66	15.27	61.91
18	बिलासपुर	1347491	58.72	65.26	72.97	81.58	91.20	369.73
19	मुंगेली	636268	27.73	30.82	34.45	38.52	43.06	174.58
20	जांजगीर-चांपा	1394646	60.78	67.55	75.52	84.43	94.39	382.67
21	कोरबा	760350	33.14	36.83	41.17	46.03	51.46	208.63
22	सरगुजा	703650	30.66	34.08	38.10	42.60	47.62	193.07
23	बलरामपुर	695808	30.32	33.70	37.68	42.12	47.09	190.92
24	सूरजपुर	717507	31.27	34.75	38.85	43.44	48.56	196.87
25	कोरिया	453618	19.77	21.97	24.56	27.46	30.70	124.47
26	रायगढ़	1247682	54.37	60.43	67.56	75.53	84.45	342.35
27	जशपुर	775677	33.80	37.57	42.00	46.96	52.50	212.83
	कुल	19607961	854.5	949.7	1062	1187.05	1327.1	5380.13

परिशिष्ट 17.2

पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन (क्षेत्रफल 15 प्रतिशत)

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	जिला	क्षेत्रफल	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	योग
1	रायपुर	291437	4.51	5.02	5.61	6.27	7.01	28.43
2	बलौदाबाजार	467697	7.25	8.05	9.00	10.06	11.25	45.62
3	गरियाबंद	585494	9.07	10.08	11.27	12.60	14.09	57.11
4	महासमुंद	496301	7.69	8.54	9.55	10.68	11.94	48.41
5	धमतरी	408193	6.32	7.03	7.86	8.78	9.82	39.81
6	दुर्ग	231999	3.59	3.99	4.47	4.99	5.58	22.63
7	बालोद	352700	5.46	6.07	6.79	7.59	8.49	34.40
8	बेमेतरा	285481	4.42	4.92	5.50	6.14	6.87	27.84
9	राजनांदगांव	802252	12.43	13.81	15.44	17.26	19.30	78.25
10	कबीरधाम	444705	6.89	7.66	8.56	9.57	10.70	43.38
11	बस्तर	392092	6.07	6.75	7.55	8.44	9.43	38.24
12	कोण्डागांव	605073	9.37	10.42	11.65	13.02	14.56	59.02
13	नारायणपुर	692268	10.72	11.92	13.33	14.90	16.66	67.52
14	कांकेर	643268	9.96	11.08	12.38	13.84	15.48	62.74
15	दंतेवाड़ा	341050	5.28	5.87	6.56	7.34	8.21	33.27
16	सुकमा	576702	8.93	9.93	11.10	12.41	13.88	56.25
17	बीजापुर	655296	10.15	11.28	12.61	14.10	15.77	63.92
18	बिलासपुर	581849	9.01	10.02	11.20	12.52	14.00	56.75
19	मुंगेली	275036	4.26	4.74	5.29	5.92	6.62	26.83
20	जांजगीर-चांपा	446674	6.92	7.69	8.60	9.61	10.75	43.57
21	कोरबा	714544	11.07	12.30	13.75	15.38	17.19	69.69
22	सरगुजा	501980	7.78	8.64	9.66	10.80	12.08	48.96
23	बलरामपुर	601634	9.32	10.36	11.58	12.95	14.48	58.68
24	सूरजपुर	499826	7.74	8.61	9.62	10.76	12.03	48.75
25	कोरिया	597770	9.26	10.29	11.51	12.86	14.38	58.30
26	रायगढ़	652774	10.11	11.24	12.57	14.05	15.71	63.67
27	जशपुर	645741	10.00	11.12	12.43	13.90	15.54	62.98
	कुल	13789836	213.62	237.42	265.44	296.76	331.78	1345.02

परिशिष्ट 17.3

पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन (अनु.जा./जन.जा. जनसंख्या 10 प्रतिशत)

(करोड़ रुपये में)

क्र.	जिला	अनु. जाति	अनु. जनजाति	योग	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	योग
1	रायपुर	358674	93010	451684	5.48	6.09	6.80	7.61	8.51	34.48
2	बलौदाबाजार	305018	167450	472468	5.73	6.37	7.12	7.96	8.90	36.07
3	गरियाबंद	60558	215986	276544	3.35	3.73	4.17	4.66	5.21	21.11
4	महासमुंद	139581	279896	419477	5.09	5.65	6.32	7.07	7.90	32.02
5	धमतरी	58581	207633	266214	3.23	3.59	4.01	4.48	5.01	20.32
6	दुर्ग	245587	101188	346775	4.20	4.67	5.22	5.84	6.53	26.47
7	बालोद	68431	259043	327474	3.97	4.41	4.93	5.52	6.17	25.00
8	बेमेतरा	144022	37185	181207	2.20	2.44	2.73	3.05	3.41	13.83
9	राजनांदगांव	156623	405194	561817	6.81	7.57	8.46	9.46	10.58	42.89
10	कबीरधाम	119798	167043	286841	3.48	3.87	4.32	4.83	5.40	21.90
11	बस्तर	14759	520779	535538	6.49	7.22	8.07	9.02	10.08	40.88
12	कोण्डागांव	23204	411001	434205	5.26	5.85	6.54	7.31	8.18	33.15
13	नारायणपुर	4979	108161	113140	1.37	1.52	1.70	1.91	2.13	8.64
14	कांकेर	31543	414770	446313	5.41	6.01	6.72	7.52	8.40	34.07
15	दंतेवाड़ा	10220	201458	211678	2.57	2.85	3.19	3.57	3.99	16.16
16	सुकमा	2776	208797	211573	2.57	2.85	3.19	3.56	3.98	16.15
17	बीजापुर	10122	204189	214311	2.60	2.89	3.23	3.61	4.04	16.36
18	बिलासपुर	358222	425688	783910	9.50	10.56	11.81	13.20	14.76	59.84
19	मुंगेली	194770	721781	916551	11.11	12.35	13.81	15.44	17.26	69.97
20	जांजगीर-चांपा	397908	187196	585104	7.09	7.88	8.81	9.85	11.02	44.67
21	कोरबा	124679	493559	618238	7.50	8.33	9.31	10.41	11.64	47.20
22	सरगुजा	40090	482007	522097	6.33	7.04	7.87	8.79	9.83	39.86
23	बलरामपुर	32732	458949	491681	5.96	6.63	7.41	8.28	9.26	37.53
24	सूरजपुर	42830	359672	402502	4.88	5.42	6.06	6.78	7.58	30.73
25	कोरिया	54776	304280	359056	4.35	4.84	5.41	6.05	6.76	27.41
26	रायगढ़	224942	505609	730551	8.86	9.84	11.01	12.30	13.76	55.77
27	जशपुर	48844	530378	579222	7.02	7.81	8.73	9.76	10.91	44.22
	कुल	3274269	8471902	11746171	142.42	158.28	177	197.84	221.19	896.69

परिशिष्ट 17.4

पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन (एसईसीसी 2011 से संबंधित वंचन सूचकांक 10 प्रतिशत)

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	जिला	वंचित परिवार	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	योग
1	रायपुर	111983	4.85	5.39	6.02	6.73	7.53	30.51
2	बलौदाबाजार	180844	7.82	8.70	9.72	10.87	12.15	49.27
3	गरियाबंद	111937	4.84	5.38	6.02	6.73	7.52	30.50
4	महासमुंद	181087	7.84	8.71	9.74	10.88	12.17	49.33
5	धमतरी	87946	3.81	4.23	4.73	5.29	5.91	23.96
6	दुर्ग	72051	3.12	3.46	3.87	4.33	4.84	19.63
7	बालोद	83736	3.62	4.03	4.50	5.03	5.63	22.81
8	बेमेतरा	86498	3.74	4.16	4.65	5.20	5.81	23.56
9	राजनांदगांव	169464	7.33	8.15	9.11	10.19	11.39	46.17
10	कबीरधाम	115595	5.00	5.56	6.21	6.95	7.77	31.49
11	बस्तर	129403	5.60	6.22	6.96	7.78	8.70	35.25
12	कोण्डागांव	86527	3.74	4.16	4.65	5.20	5.81	23.57
13	नारायणपुर	20149	0.87	0.97	1.08	1.21	1.35	5.49
14	कांकेर	103911	4.50	5.00	5.59	6.25	6.98	28.31
15	दंतेवाड़ा	40758	1.76	1.96	2.19	2.45	2.74	11.10
16	सुकमा	41067	1.78	1.97	2.21	2.47	2.76	11.19
17	बीजापुर	42454	1.84	2.04	2.28	2.55	2.85	11.57
18	बिलासपुर	262713	11.37	12.63	14.12	15.79	17.65	71.57
19	मुंगेली	112088	4.85	5.39	6.03	6.74	7.53	30.54
20	जांजगीर-चांपा	250959	10.86	12.07	13.49	15.08	16.86	68.37
21	कोरबा	155222	6.72	7.46	8.35	9.33	10.43	42.29
22	सरगुजा	134257	5.81	6.46	7.22	8.07	9.02	36.58
23	बलरामपुर	127369	5.51	6.13	6.85	7.66	8.56	34.70
24	सूरजपुर	117436	5.08	5.65	6.31	7.06	7.89	31.99
25	कोरिया	82192	3.56	3.95	4.42	4.94	5.52	22.39
26	रायगढ़	235488	10.19	11.32	12.66	14.15	15.83	64.15
27	जशपुर	148277	6.42	7.13	7.97	8.91	9.96	40.40
	कुल	3291411	142.42	158.28	176.96	197.84	221.19	896.69

परिशिष्ट 17.5

पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन (महिला साक्षरता 5 प्रतिशत)

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	जिला	महिला साक्षरता प्रतिशत	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	योग
1	रायपुर	72.79	3.47	3.86	4.31	4.82	5.39	21.86
2	बलौदाबाजार	58.57	2.79	3.11	3.47	3.88	4.34	17.59
3	गरियाबंद	56.45	2.69	2.99	3.35	3.74	4.18	16.96
4	महासमुंद	60.25	2.87	3.19	3.57	3.99	4.46	18.10
5	धमतरी	69.08	3.30	3.66	4.09	4.58	5.12	20.75
6	दुर्ग	75.01	3.58	3.98	4.45	4.97	5.56	22.53
7	बालोद	71.28	3.40	3.78	4.23	4.72	5.28	21.41
8	बेमेतरा	58.55	2.79	3.10	3.47	3.88	4.34	17.59
9	राजनांदगांव	66.7	3.18	3.54	3.95	4.42	4.94	20.03
10	कबीरधाम	48.71	2.32	2.58	2.89	3.23	3.61	14.63
11	बस्तर	43.49	2.07	2.31	2.58	2.88	3.22	13.06
12	कोण्डागांव	45.37	2.16	2.41	2.69	3.01	3.36	13.63
13	नारायणपुर	39.88	1.90	2.11	2.36	2.64	2.95	11.98
14	कांकेर	60.64	2.89	3.22	3.59	4.02	4.49	18.21
15	दंतेवाड़ा	38.58	1.84	2.05	2.29	2.56	2.86	11.59
16	सुकमा	25.74	1.23	1.36	1.53	1.71	1.91	7.73
17	बीजापुर	31.11	1.48	1.65	1.84	2.06	2.30	9.34
18	बिलासपुर	62.4	2.98	3.31	3.70	4.14	4.62	18.74
19	मुंगेली	51.97	2.48	2.76	3.08	3.44	3.85	15.61
20	जांजगीर-चांपा	61.31	2.92	3.25	3.63	4.06	4.54	18.42
21	कोरबा	61.93	2.95	3.28	3.67	4.10	4.59	18.60
22	सरगुजा	51.92	2.48	2.75	3.08	3.44	3.85	15.59
23	बलरामपुर	47.93	2.29	2.54	2.84	3.18	3.55	14.40
24	सूरजपुर	50.76	2.42	2.69	3.01	3.36	3.76	15.25
25	कोरिया	60.6	2.89	3.21	3.59	4.02	4.49	18.20
26	रायगढ़	63.02	3.01	3.34	3.74	4.18	4.67	18.93
27	जशपुर	58.61	2.80	3.11	3.47	3.88	4.34	17.60
	कुल	60.24	71.21	79.14	88.48	98.92	110.59	448.34

परिशिष्ट 17.6

पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार कुल आबंटन

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	जिला	जनसंख्या (60%)	क्षेत्रफल (15%)	अजा./अजजा. जनसंख्या (10%)	वंचन सूचकांक (10%)	महिला साक्षरता प्रतिशत (5%)	योग (100%)
1	रायपुर	242.62	28.43	34.48	30.51	21.86	357.90
2	बलौदाबाजार	312.57	45.62	36.07	49.27	17.59	461.11
3	गरियाबंद	152.89	57.11	21.11	30.50	16.96	278.56
4	महासमुंद	250.40	48.41	32.02	49.33	18.10	398.27
5	धमतरी	178.51	39.81	20.32	23.96	20.75	283.36
6	दुर्ग	169.36	22.63	26.47	19.63	22.53	260.62
7	बालोद	197.74	34.40	25.00	22.81	21.41	301.36
8	बेमेतरा	197.88	27.84	13.83	23.56	17.59	280.71
9	राजनांदगांव	346.99	78.25	42.89	46.17	20.03	534.33
10	कबीरधाम	201.71	43.38	21.90	31.49	14.63	313.10
11	बस्तर	191.76	38.24	40.88	35.25	13.06	319.20
12	कोण्डागांव	142.91	59.02	33.15	23.57	13.63	272.28
13	नारायणपुर	32.30	67.52	8.64	5.49	11.98	125.93
14	कांकेर	184.44	62.74	34.07	28.31	18.21	327.77
15	दंतेवाड़ा	59.12	33.27	16.16	11.10	11.59	131.23
16	सुकमा	60.90	56.25	16.15	11.19	7.73	152.22
17	बीजापुर	61.91	63.92	16.36	11.57	9.34	163.10
18	बिलासपुर	369.73	56.75	59.84	71.57	18.74	576.64
19	मुंगेली	174.58	26.83	69.97	30.54	15.61	317.52
20	जांजगीर-चांपा	382.67	43.57	44.67	68.37	18.42	557.69
21	कोरबा	208.63	69.69	47.20	42.29	18.60	386.41
22	सरगुजा	193.07	48.96	39.86	36.58	15.59	334.06
23	बलरामपुर	190.92	58.68	37.53	34.70	14.40	336.23
24	सूरजपुर	196.87	48.75	30.73	31.99	15.25	323.59
25	कोरिया	124.47	58.30	27.41	22.39	18.20	250.77
26	रायगढ़	342.35	63.67	55.77	64.15	18.93	544.87
27	जशपुर	212.83	62.98	44.22	40.40	17.60	378.03
	कुल	5380.13	1345.02	896.69	896.69	448.34	8966.87

